हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 30.05.2019 को मध्यान्ह 12:00 बजे सम्पन्न सप्तम् बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:

1–	प्रो0 एन0बी0 सिंह कुलपति एवम् अध्यक्ष वित्त समिति एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	अध्यक्ष
2–	श्री एस0पी0 सिंह,(प्रतिनिधि वित्त विभाग) अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल कानपुर।	सदस्य
3–	श्री अवध किशोर,(प्रतिनिधि प्राविधिक शिक्षा विभाग) उप सचिव, प्रावि0शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
4–	प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	सदस्य
5–	श्री राजेश सिंह वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	सदस्य–सचिव
6–	श्रीमती रीता सचान वित्त एवं लेखाधिकारी, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	विशेष आमंत्री

7.01 **हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की दिनांक 21/02/2019 को अपरान्ह 12:30 बजे सम्पन्न षष्टम् वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।**

समिति द्वारा दिनांक 21/02/2019 को सम्पन्न वित्त समिति की षष्टम् बैठक के कार्यवृत्त पर किसी सदस्य की कोई टिप्पणी प्राप्त न होने के दृष्टिगत पुष्टीकरण किया गया।

7.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की दिनांक 21/02/2019 को अपरान्ह 12:30 बजे सम्पन्न षष्टम् वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

समिति द्वारा दिनांक 21.02.2019 को सम्पन्न षष्टम् वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही को संज्ञान में लेते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देशित किया गयाः

(3:13) समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु सं0 7:08:04 पर वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की बैलेन्स सीट 02 माह में बनाये जाने के निर्देश दिये गये।

(3:21.02) समिति द्वारा पी0डब्लू0डी0 से कार्य में गति प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये ।

4.03 समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट के सापेक्ष लाईब्रेरी में बुकस्/ई–बुकस् कय हेतु रू0 40.00 लाख का अतिरिक्त स्वीकृत बजट को वित्तीय 2019–20 में पुर्नस्थापित करते हुए कय हेतु अनुमति प्रदान की गयी ।

4.05 समिति द्वारा डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्रा0विश्व0लखनऊ–ए0के0टी0यू0 ग्राण्ट रू0 500.00लाख एवं रू0 70.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय करने के लिए समिति की संस्तुतियाँ हेतु तीव्र गति प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये ।

4.07 समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अंशकालिक एम0टेक पाठ्यकमों से प्राप्त आय के वितरण संबंधी समिति की संस्तुतियाँ तत्काल प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया।

5.04 विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को पार्ट टाइम शोध कार्य (पी0एच0डी0) हेतु शिक्षण शुल्क (परीक्षा शुल्क छोड़कर) छूट प्रदान किये जाने पर विचार।

समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7:06 पर निर्देश प्रदान किये गये।

5.05 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार योजना (ए0के0टी0यू0) बजट से मल्टीपरपज हाल का निर्माण कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार।

भवन निर्माण एवं कार्य समिति की बैठक दिनांक 28.05.2019 द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रुवमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन/हाल के विस्तृत आगणन पर आन्तरित समिति द्वारा परीक्षित धनराशि रू0 929.95 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया। भवन के अतिरिक्त कार्यो, बाह्य रोड, पार्किंग एरिया, लैण्डस्केपिंग, बाह्य जल मल एवं ड्रेन, बाह्य विद्युत लाइट, ट्रांसफार्मर, डी0जी0 सेट,एकाउस्टिक एवं सांउड सिस्टम तथा फर्नीचर के प्रस्ताव आगणन में सम्मिलित नहीं है। भवन निर्माण एवं कार्य समिति के उक्त अनुमोदन से समिति अवगत हुई। पं0 दीन दयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रुवमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त मद में वर्तमान में धनराशि रू0 900.00 लाख स्वीकृत है। उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा इसके निर्माण एवं अन्य सुविधाओं हेतु रू0 900.00 लाख के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था पं0 दीन दयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रुवमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत न होने पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5:07: विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित टेक्यूप–III की गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय को प्राप्त कुल राजस्व का निम्नलिखित खातों में कुल 08 प्रतिशत धनराशि बनाये रखे जाने की अनिवार्यता विषयक प्रस्ताव पर विचार।

इस संबंध में समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7:07 पर निर्णय प्रदान किया गया है।

6.03 वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनवरी 2019 तक वास्तविक व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय अनुमान के प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के आयोजनेत्तर पक्ष के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष वास्तविक व्ययों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.04: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों से शैक्षिक सत्र 2019–20 से शिक्षण एवं विभिन्न शुल्क आदि बढ़ाये जाने पर विचार।

समिति द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।

6.05: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एवं छात्रावासों में निवासरत छात्रों के छात्रावास शुल्क आदि बढ़ाये जाने पर विचार।

समिति द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।

6.06: विश्वविद्यालय के पश्चिमी एवं पूर्वी प्रांगण में आवासित शिक्षकों/अधिकारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से वित्तीय वर्ष 2019–20 से भवन के किराये में वृद्धि जाने पर विचार।

समिति द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।

6.07: विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।

6.08: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

6.08.02: विश्वविद्यालय अतिथि गृह के कमरों का किराया बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।

6.08:3 विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग विभाग के निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी उपकरणों, फर्नीचर एवं अन्य सामानों आदि के निस्तारण किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग में 40 वर्षो की पुरानी कापियों की नियमानुसार कटिंग्स करके तथा अन्य विभागों/अनुभागों में एकत्र अनुपयोगी सामान को निष्प्रयोज्य घोषित कराते हुए नीलामी आदि की कार्यवाही की जाय।

7.03: विश्वविद्यालय के कार्यो हेतु Automation (ERP) का कार्य MKT Softwares (Pvt.)Ltd. के सहयोग से संज्ञान ज्ञाप में विहित व्यवस्था के अधीन कराये जाने हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के कार्यो हेतु Automation (ERP) का कार्य MKT Softwares (Pvt.)Ltd. के सहयोग से संज्ञान ज्ञाप में विहित व्यवस्था के अधीन कराये जाने हेतु रू0 40,000/–प्रतिमाह की दर से मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर प्रथम छः महीने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.04: विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सेन्टर कम ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट सेन्टर हेतु उपकरण क्रय किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा कम्प्यूटर सेन्टर कम ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट सेन्टर हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु रू0 121.80 लाख सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचारोपरान्त धन आवंटन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.05: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एवं छात्रावासों में निवासरत छात्रों के छात्रावास शुल्क आदि प्रभावी किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा शैक्षिक सत्र् 2019–20 में पूर्व से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से बढ़ी हुई दरों पर छात्रावास प्रयोक्ता शुल्क लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृत प्रदान नहीं की गयी।

समिति द्वारा पश्चिमी प्रांगण में रहने वाले छात्र/छात्राओं से बस की सुविधा हेतु रू0 5000.00 की धनराशि प्राप्त करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.06: विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को पार्ट टाइम शोध कार्य (पी0एच0डी0) हेतु शिक्षण शुल्क (परीक्षा शुल्क छोडकर) छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी हेतु पंजीकृत विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों/कर्मियों से निर्धारित पूरा शुल्क जमा कराया जाय तथा उसकी प्रतिपूर्ति हेतु टेक्यूप–III अथवा विश्वविद्यालय में संचालित किसी अन्य परियोजना, जिसमें शुल्क प्रतिपूर्ति की निर्दिष्ट व्यवस्था हो, के अनुरूप नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने एवं यदि ऐसी कोई परियोजना विश्वविद्यालय में संचालित नहीं हो तो संबंधित शिक्षक/कर्मचारी द्वारा ही उक्त व्यय वहन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

7:07 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित टेक्यूिप–III की गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय को प्राप्त कुल राजस्व का निम्नलिखित खातों में कुल 08 प्रतिशत धनराशि बनाये रखे जाने की अनिवार्यता विषयक प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किया गया:

"सारिणी–1 : टेक्यूिप–III गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में खुलने वाले फण्ड के 04 खातों के नाम, प्रति वर्ष उसमें जमा होने वाले धनराशि का अंश तथा उपभोग के प्रयोजन का विवरण:

S.No.	Name of established Fund Account	% Revenue to be deposited every year	Purpose & Remarks
01	Corpus Fund	2%	For use in emergent situation on approval of the Vice-Chancellor
02	Faculty Development Fund	2%	For use in programmes related to Faculty and Staff Development
03	Equipment Replacement Fund	2%	For repair & Replacement of equipment existing in University Schools Deptts./Sections & Offices etc.
04	Maintenance Fund	2%	For use in Maintenance Works

टेक्यूिप–III गाइड लाइन की अपेक्षानुसार टेक्यूिप–III परियोजना के अवसान के उपरान्त विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट पठन–पाठन/शोध एवं शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों की गुणता/दक्षता के विकास, उपकरणों/मशीनों के मरम्मत एवं नवीनीकरण के साथ–2 अन्य कियाकलापों के सुचारू संचालन हेतु निम्नवत व्यवस्था भी प्रभावी की जाय।

(क) कार्पस फण्ड (संग्रह मद): विश्वविद्यालय कार्य परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 29.12.2018 के मद सं0 3.02 में दिये गये निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय स्कूल्स/विभागों/अनुभागों द्वारा सम्पन्न किये जा रहे टेस्टिंग कार्य से प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत तथा कन्सलटेंसी मद में प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत कार्पस फण्ड में जमा कराये जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है, जो कि आगे भी लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को प्राप्त दान, एल्यूमनी से प्राप्त धनराशि के साथ–2 किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त इस प्रकार के धनराशि को सारणी–1 में इंगित कार्पस फण्ड में संचित किया जाय तथा उसका उपभोग विशेष परिस्थितियों में जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो तो विश्वविद्यालय कुलपति/सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जाय।

(ख) विश्वविद्यालय में सम्पन्न हो रहे कार्यशाला, सेमिनार एवं कान्फ्रेंसेस, फैकल्टी डवलपमेंट कार्यक्रमों के रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि के रूप में प्राप्त धनराशि को बराबर–2 सारिणी–1 में इंगित चारों फण्ड में जमा करते हुए संचित किया जाय तथा इस प्रकार संचित धनराशि को अभियुक्ति अनुसार कुलपति/सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए छात्रहित के निर्दिष्ट कार्यों में व्यय किया जाय।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्कूल्स/विभागों/अनुभागों द्वारा सम्पन्न समर अथवा विंटर स्कूल एवं अन्य विविध ट्रेनिंग कार्यक्रमों इत्यादि तथा उद्योगों से प्रायोजित शोध परियोजनाएं अथवा किसी अन्य कार्य हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि से सर्वप्रथम 08 प्रतिशत की कटौती कर 02 प्रतिशत की दर से सारिणी–1 में इंगित चारों फण्ड के खातों मे धनराशि जमा किया जाय एवं शेष बचे 92 प्रतिशत की धनराशि को संबंधितों में नियमानुसार वितरण हेतु अनुमन्य किया जाय। तत्पश्चात सारणी–1 में इंगित फण्ड (खातों) में प्राप्त धनराशि को अभ्युक्ति अनुसार कुलपति/सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुये विश्वविद्यालय हित में व्यय किया जाय।"

7.08: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

7:08:01 विश्वविद्यालय में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना रेस्को मोड पर लगवाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने विश्वविद्यालय में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना रेस्को मोड पर लगवाये जाने हेतु नेडा द्वारा अधिकृत मेसर्स सन स्विच इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरूग्राम से रू0 3.78 प्रति यूनिट Levelized Tariff के प्रति किलोवाट घण्टा (Kwh) की दर के आधार पर, निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त 25 वर्षो हेतु अनुबन्ध किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया:

FEES

Following are the details of the tariff agreed between the parties.

Purchase shall pay power producer for solar power at the rate equal to IN /3.78/KWH(levelized tariff) which is the levelized tariff as per UPNEDA allocation year wise tariff is as follows;

Year (from COD)	Tariff rate Rs./Kwhr
1	3.48
2	3.55
3	3.59
4	3.62
5	3.66
6	3.69

7	3.73
8	3.77
9	3.81
10	3.84
11	3.88
12	3.92
13	3.96
14	4.00
15	4.04
16	4.08
17	4.12
18	4.16
19	4.20
20	4.25
21	4.29
22	4.33
23	4.37
24	4.42
25	4.46

7:08:02: विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के स्नातक प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण एवं उपकरणों के क्रय किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के स्नातक प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण एवं उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रू0 69.64 लाख संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त धन आवंटन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

7:08:03. विश्वविद्यालय में प्रति–कुलपति के कार्य एवं दायित्वों के निवर्हन हेतु विशेष भत्ता दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के नियम–14(6) के अधीन वित्तीय वर्ष में प्रति–कुलपति के कार्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु रू0 25,000.00 के मानदेय पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि प्रति–कुलपति द्वारा प्रश्नगत वित्तीय वर्ष में कम से कम लगातार 06 माह तक इस पद पर कार्य किया गया हो।

7:08:04.विश्वविद्यालय एजेण्डा बिन्दु 7.02 (6.02) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की बैलेन्स सीट को तैयार कराते हुए विश्वविद्यालय की आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय के संबंध में।

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.04.2016 से 31.08.2016 तक व दिनांक 01.09.2016 से 31.03.2017 तक) की बैलेन्स सीट का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 की बैलेन्स सीट 02 माह में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

7.08:05.शैक्षिक सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु गठित प्रवेश समन्वय समिति के कार्यो में सहयोग देने वाले शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा पिछले वर्ष ही इस संबंध में मानदेय निर्धारित होने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

7.08:06.विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक 22.05.2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय विषयक प्रस्ताव पर विचार।

समिति संज्ञानित हुई।

7.08:07. विश्वविद्यालय भवन एवं कार्य समिति की दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय विषयक प्रस्ताव पर विचार।

समिति संज्ञानित हुई।

7:08:08 विश्वविद्यालय में लागू नवीन टेस्टिंग एण्ड कन्सलटेन्सी नियमों एवं दरों में कतिपय संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा निर्देश दिए गये कि इस संबंध में मा0 कुलपति द्वारा एक समिति का गठन करते हुए, संस्तुतियाँ प्राप्त की जाय। संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर पुनः इसे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(राजेश सिंह)
सदस्य सचिव
एच0बी0टी0यू0 कानपुर

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
अध्यक्ष, वित्त समिति
एच0बी0टी0यू0 कानपुर